न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट
जमानत प्रार्थना पत्र सं0–541/2019

अ0सं0–89/2019
धारा 363 भा0दं0सं0
थाना राजापुर जिला चित्रकूट

04.07.2019

आवेदक/अभियुक्त संजय द्वारा मु0अ0सं0–89/2019, अन्तर्गत धारा 363 भा0दं0सं0, थाना राजापुर जिला चित्रकूट में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। उसे फर्जी फंसाया गया है। उपरोक्त तथ्यों पर जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363 भा0दं0सं0 का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त पर जो अभियोग लगाया गया है, वह गम्भीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। अतएव मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त संजय द्वारा मु0अ0सं0–89/2019, अन्तर्गत धारा 363 भा0दं0सं0, थाना राजापुर जिला चित्रकूट में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

सी0जे0एम0
चित्रकूट